राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं
एनआरएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांकः एफ.1008( )/एनएचएम/स्वास्थ्य बीमा योजना/2015–16/20 दिनांक : 09/12/15

न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड,
रीजनल ऑफिस, द्वितीय तल नेहरू पैलेस,
टोंक रोड़, जयपुर–302015
फोन नं. 0141–2740974
E-mail : rm.singh@newindia.co.in

विषयः– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थीयों के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप से हुई चर्चा के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी का प्रमाणीकरण करने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही कराई जानी हैं।

खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री सुभाष अग्रवाल जी के अनुसार दिनांक 13 दिसम्बर 2015 तक जिन परिवारों का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) स्टेटस ऑनलाइन हो चुका हैं उनका डेटा पीडीएस डेटा बेस से जाँचा जा सकेगा परन्तु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले जिन परिवारो का डेटा ऑनलाइन नही हुआ है अथवा डेटा बेस से उस लाभार्थी की पहचान प्राप्त नहीं होती है उनकी पहचान निम्नानुसार की जाएगी :–

'लाभार्थी के राशन कार्ड मे अक्टूबर 2015 के बाद खाद्यान उठाया जाना प्रदर्शित हैं अथवा लाभार्थी अपने क्षेत्रीय राशन डीलर से प्रमाणित NFSA लाभार्थी की सूची की छाया प्रति प्रस्तुत करता है तो उसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभार्थी मानकर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा इस हेतु प्रस्तुत किए गए दस्तावेज (राशन कार्ड या लाभार्थी सूची की प्रति) को स्कैन कर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के सॉफ्टवेयर मे दी गई सुविधा अनुसार अपलोड करेगा।'

यह व्यवस्था इसलिए आवश्यक है क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी परिवार जिनका डेटा ऑनलाइन नहीं हुआ हैं वे भी माननीया मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा के अनुसार भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र लाभार्थी हैं। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार किसी भी लाभार्थी को मात्र इसलिए सुविधा से वंचित नही किया जा सकता कि वह लाभार्थी होने का वो प्रमाण प्रस्तुत ना कर सकें जो कि किसी योजना विशेष में आवश्यक हो अतः भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत लाभ लेने हेतु लाभार्थी किसी भी प्रकार से यदि NFSA या RSBY से संबंधित पहचान प्रस्तुत करने में सक्षम हो जाता है तो उसे योजना का लाभ दिया जायेगा।

अतः आपसे आग्रह है कि उपरोक्तानुसार बनी सहमति के आधार पर अपनी स्वीकृति प्रदान करें ताकि योजना के लिए प्रीमियम की किस्त की राशि हस्तान्तारित की जा सकें।

(डॉ. नीरज के. पवन)
अतिरिक्त मिशन निदेशक
एन.एच.एम.

क्रमांकः एफ.1008( )/एनएचएम/स्वास्थ्य बीमा योजना/2015–16/ **दिनांक :**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम।
4. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम।
5. सलाहकार–आई.ई.सी., एनएचएम।
6. प्रभारी सर्वर रूम को ई–मेल कराने हेतु।

अतिरिक्त मिशन निदेशक
एन.एच.एम.